दिनांक	मूलाराम – [illegible] मु.नं. 100/2011 आज्ञा पत्र	
27-2-18	वकील अपीलान्ट उपस्थित तथा Arguments तलब हो। पत्रावली दिनांक 30-4-18 को पेश हो।	
30-4-18	पत्रावली पेश बार-बार आवाज दिलाई वकील अपीलान्ट व अपीलान्ट कोई उपस्थित नहीं अदम ईराबी व अदम पैरवी साबित होने से पत्रावली खारिज की जाती है। निर्णय सुनाया गया।	

पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर